बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—

श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा दिनांक 04.06.2009 को परिवादी श्री राजन कुमार सिंह से रू0—20,000/—रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं श्री सिंह के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0—064/2009 दिनांक 05.06.2009 धारा—201, भा0द0वि0 एवं धारा—7/13(2)—सह—पठित धारा—13(1)(डी0189 भ0नि0अधि0—1988 दर्ज किये जाने के मामले में विभागीय अधिसूचना सं0—1201 दिनांक 25.03.2013 द्वारा मुख्य अभियंता—4, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए इन्हें ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना सं0—4593 दिनांक 16.12.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संसोधन) नियमावली, 2007 के नियम—14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित की गयी।

2. श्री श्रीकान्त सिंह द्वारा उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-7151/2015 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05.01.2024 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः—

"4. Taking note of these dates and events, the petitioner has made out a prima facie case for grant of relief insofar as quashing of dismissal order dated 16.12.2014 (Annexure-13). Accordingly, impugned order dated 16.12.2014 (Annexure 13) stands set aside. The matter is referred back to Disciplinary authority/State Government with liberty to initiate fresh inquiry with reference to Rule 43 (b) Bihar Pension Rules, 1950 for the reasons that as on this day the petitioner has already attained the age of superannuation and retired from service. The fresh inquiry shall be initiated and completed in accordance with relevant provision of law within a period of six months from the date of receipt of this order. The petitioner shall co-operate in departmental inquiry. The aforementioned finding of this Court is supported by Hon'ble Apex Court decision in the case of ECIL vs. B. Karunakaran reported in (1993) 4 SCC 727 and Chairman- cum-Managing Coal India Ltd. vs. Ananta Saha and Ors. reported in (2011) 5 SCC 142.

5. The aforementioned principle has been reiterated by the Hon'ble Apex Court in the case of State of Uttar Pradesh & Ors. vs. Prabhat Kumar reported in 2022 Live Law SC 736 Question of reinstatement is not warranted since petitioner has already attained his age of superannuation and retired from service, therefore, the intervening period from the date of dismissal, i.e., 16.12.2014 till date of his retirement is required to be regulated only on outcome of the fresh departmental inquiry proceeding to be completed. In this regard, a separate order shall be passed by the State Government under Rule 97 of Bihar Service Code to the extent whether is it duty period or leave period or dies non. Such order shall be passed within a period of two months from the date of passing final order in the fresh departmental inquiry.

6. In the meanwhile, petitioner is entitled to provisional pension under the Bihar Pension Rules, 1950. The same shall be calculated from the date of his

retirement and disburse the same within a period of three months from the date of receipt of this order. Thereafter, regulate the pension depending upon the outcome of the departmental inquiry afresh.

7. With the above observations, the present writ petition standis allowed in part."

3. उपर्युक्त न्यायादेश द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र एवं उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण मानते हुए बर्खास्तगी के आदेश दिनांक 16.12.2014 को निरस्त कर दिया गया। साथ ही श्री सिंह के विरूद्ध नये सिरे से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए छः माह के अंदर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने का निदेश दिया गया। श्री सिंह के बर्खास्तगी की तिथि (16.12.2014) से सेवानिवृति की तिथि (31.01.2022, सेवा में रहने की स्थिति में) का विनियमन नये सिरे से संचालित विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश के उपरान्त दो माह के अंदर उक्त अवधि के संबंध में आदेश निर्गत करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया। इस बीच श्री सिंह को औपबंधिक पेंशन प्रदान करने का आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया।

4. उक्त आदेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर करने के बिन्दु पर परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता को पृष्ठांकित की गई। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गए परामर्श का मुख्य अंश निम्नवत् हैः—

As regrads, filing of LPA is concerned, in my opinion no case is made out as the prosecution has miserably failed to prove the charge. Further, the department has been very casual in conducting the proceeding under Rule 43(b) of Bihar Pension Rules. Since time for conducting such proceeding has expired, department may have to move an application seeking extension for initiating and concluding the proceeding. However, even if such an application is filed, that should not be a ground to await an order to be passed by the writ court. Besideds, the department is required to decide the issue of pension as directed by the writ court at the earliest.

5. CWJC No-7151/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2024 को पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने के कारण श्री श्रीकान्त सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में MJC No-1446/2024 दायर किया गया।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में CWJC No-7151/2015 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05.01.2024 को पारित न्यायादेश का अनुपालन बाध्यकारी हो जाने के कारण मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना सं0 1093 दिनांक 20.11.20218 में निहित निदेश के तहत न्यायादेश का अनुपालन के बिन्दु पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। उक्त समिति की दिनांक 25.09.2024 को संपन्न बैठक में समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरात की गई अनुशंसा का मुख्य अंश निम्नवत् हैः—

"समिति द्वारा सम्यक् विचोपरांत CWJC No-7151/2015 (श्रीकान्त सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायाल, पटना द्वारा दिनांक 05.01.2024 को पारित न्यायादेश का अनुपालन को दृष्टिपथ में रखते हुए श्री श्रीकान्त सिंह को सेवा से बर्खास्त किये जाने से संबंधित दण्डादेश को निरस्त करते हुए औपबंधिक पेंशन तत्काल स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में दिनांक 16.12.2014 से 31.01.2022 तक की

अवधि का निर्धारण पुनः चलायी जाने वाली विभागीय कार्यवाही के आधार पर किया जायेगा। यह याचिकाकर्ता के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वादाहरण नहीं माना जायेगा।

समिति को विभाग ने अवगत कराया कि चुनाव प्रक्रिया एवं अन्य प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विलम्ब हुआ है। विभाग विलम्ब के लिए उचित जिम्मेवारी निर्धारण कर यथोचित कार्रवाई की जाय। साथ ही विभागीय कार्यवाही को प्रारंभ कर पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त छः माह का समय हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया जाय।''

7. इसी मध्य CWJC No-7151/2015 में पारित आदेश का वह अंश जिसमें पुनः नये सिरे से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(B) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालन का आदेश दिया गया था, के विरूद्ध याचिकाकर्ता श्री श्रीकान्त सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर LPA संख्या–58/2024 श्री श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में पटना उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक 03.09.2024 को पारित न्यायादेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"The Appeal stands allowed setting aside the order of remand and directing the appellant to be treated as having been reinstated in service from the date of his termination and he being entitled to all benefits, including pay and allowances from the date of his suspension. If any, till the date of his superannuation, permitting set off only of subsistence allowance paid during the period of suspension. The appellant would also be entitled to the retirement benefits as applicable.

The directions hereinabove shall be complied with and the payments of arrears of salary & allowances, retirement benefits and pension shall be made within a period of six months, from the date of uploading of this judgments; failing which, the appellant would be entitled to 5% p.a. simple interest on the said amounts from the date of expiry of the period of six months, till the payment is made. While making the payment of arrears, the appellant shall be issued with written computation of amounts due to him from the date of his suspension if the amounts are not paid within the time provided by us, the interest shall first be paid by the State Government and then the State Government would be entitled to proceed against any officer who committed default in complying with our directions, for recovery.

Interlocutory application, if any, shall stand closed."

8. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में LPA संख्या–58/2024 श्री श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 03.09.2024 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (Civil) Diary No-3629/2025 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्रीकान्त सिंह एवं अन्य) दायर किया गया। इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.02.2025 को सुनवाई के पश्चात् पारित न्यायादेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"We are not inclined to interfere with the impunged judgment passed by the High Court. Hence, the Special Leave Petition is dismissed."

9. उल्लेखनीय है कि LPA संख्या—58/2024 श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 03.09.2024 को पारित न्यायादेश का अनुपालन ससमय नहीं हो पाने के फलस्वरूप श्री श्रीकान्त सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में MJC No-1047/2025 दायर किया गया है जो माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष विचाराधीन है।

10. उक्त के आलोक में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत हैः—

"After dismissal of SLP there is no other option but to comply direction issued by Division Bench in LPA NO :— 58/2024. let it be done immediately".

11. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में SLP (Civil) Diary No-3629/2025 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्रीकान्त सिंह एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.02.2025 को पारित न्यायादेश एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के उक्त परामर्श के आलोक में प्रसांगिक LPA संख्या—58/2024 श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 03.09.2024 के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति के फलस्वरूप मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना सं0—1093 दिनांक 20.11.2018 में निहित प्रावधान के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के अधिसूचना सं0—4593—सह—पठित ज्ञापांक—4594 दिनांक 16.12.2014 द्वारा श्री श्रीकांत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के विरूद्ध अधिरोपित सेवा से वर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए सभी परिणामी लाभ एवं नियमानुसार अनुमान्य सेवांत लाभों का भुगतान किये जाने के प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखे जाने हेतु विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गयी।

12. तदोपरांत विधि विभाग द्वारा मामले को समिति के समक्ष रखे जाने की सहमति प्रदान करते हुए दिनांक 17.06.2025 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में समिति का निर्णय निम्नवत है :—

"समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त LPA संख्या—58/2024 श्रीकान्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 03.09.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रशासी विभाग के अधिसूचना संख्या—4593—सह—पठित ज्ञापांक—4594 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा श्री श्रीकान्त सिंह के विरूद्ध संसूचित दंडादेश/निर्णय को निरस्त करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्त्ता के संदर्भ में हीं प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।"

13. उक्त के आलोक में श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अधिसूचना सं0—4593—सह—पठित ज्ञापांक—4594 दिनांक 16.12.2014 द्वारा अधिरोपित सेवा से वर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए सभी

परिणामी लाभ एवं नियमानुसार अनुमान्य सेवांत लाभों का भुगतान करने के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

14. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अधिसूचना सं0—4593—सह—पठित ज्ञापांक—4594 दिनांक 16.12.2014 द्वारा अधिरोपित सेवा से वर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त किया जाता है। साथ ही इन्हें सभी परिणामी लाभ एवं नियमानुसार अनुमान्य सेवांत लाभों का भुगतान का आदेश दिया जाता है।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/7/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—155/2012 7474 /पटना/दिनांक :— 10.7.25

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

9/7/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—155/2012 7474 /पटना/दिनांक :— 10.7.25

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—155/2012 7474 /पटना/दिनांक :— 10.7.25

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता—2/ मुख्य अभियंता—3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगूसराय/औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगुसराय/औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी—05, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी०

मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद संप्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पताः– N.T.P.C. Colony, Road No.-7, East Ramkrishna Nagar, Post- New Jaganpura, P.S.- Ramkrishna Nagar Patna, Pin-800027 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–155/2012 7474 /पटना/दिनांक :– 10.7.25

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

9/7/25

अवर सचिव